<u>प्रेस नोट जनपद खीरी</u>

<u>दिनाँक 05.01.2026</u>

<u>पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में जनपद में अपराध नियंत्रण व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के दौरान विगत 24 घंटे में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा निम्न कार्यवाही की गया</u>

<u>जिलाधिकारी खीरी एवं पुलिस अधीक्षक खीरी की अध्यक्षता में तहसील सदर में “सम्पूर्ण समाधान दिवस” का किया गया आयोजन; फरियादियों की समस्याओं को सुनकर सम्बन्धित अधिकारियों को मौके पर जाकर जनशिकायतों की निष्पक्ष जांच कर विधिक निस्तारण के लिए निर्देशित किया गया,</u>

आज दिनांक 05.01.2026 को जनपद के प्रत्येक तहसील स्तर पर “सम्पूर्ण समाधान दिवस” का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी खीरी, श्रीमती दुर्गा शक्ति नागपाल व पुलिस अधीक्षक खीरी, श्री संकल्प शर्मा द्वारा तहसील सदर पर उपस्थित रहकर "सम्पूर्ण समाधान दिवस" की अध्यक्षता की गई। इस दौरान फरियादियों की समस्याओं को सुनकर सम्बंधित अधिकारियों को मौके पर जाकर जनशिकायतों की निष्पक्ष जाँच करके विधिक निस्तारण करने के निर्देश दिए गए। सम्पूर्ण समाधान दिवस में प्राप्त प्रार्थना पत्रों का समयबद्ध रूप से निस्तारण करने तथा जिन प्रार्थना पत्रों का निस्तारण उच्चाधिकारी स्तर से किया जाना है उन पर सम्बन्धित से समन्वय स्थापित कर समय से निस्तारण किये जाने के लिए निर्देशित किया गया। इसके अतिरिक्त जनपद के समस्त क्षेत्राधिकारीगण द्वारा अपने-अपने सर्किल की तहसील मुख्यालय में उपस्थित रहकर जनशिकायतों का निस्तारण कराया गया।

थाना मितौली पुलिस द्वारा ,02 नफर अभियुक्तों को 02 अदद अवैध तमंचा 315 बोर , 02 अदद जिंदा कारतूस 315 बोर सहित गिरफ्तार किया गया।

पुलिस अधीक्षक खीरी, श्री संकल्प शर्मा द्वारा जनपद खीरी में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक खीरी के निकट पर्यवेक्षण में व क्षेत्राधिकारी मितौली के कुशल मार्गदर्शन एवं प्रभारी निरीक्षक मितौली के नेतृत्व में आज दिनांक 05.01.2026 को थाना मितौली पुलिस द्वारा, थाना स्थानीय पर पंजीकृत कर मु0अ0सं0 10/2026 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट व 11/2026 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट में 02 नफर अभियुक्तों 1हर्षित शुक्ला पुत्र राजीव शुक्ला उम्र करीब 26 वर्ष निवासी मोहल्ला उत्तरी कस्बा मितौली थाना मितौली जनपद खीरी 2. रोहित गुप्ता पुत्र पप्पू सेठ उर्फ राधेश्याम गुप्ता उम्र करीब 42 वर्ष निवासी कस्बा मितौली मंगल बाजार थाना मितौली जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही पूर्ण कर अग्रिम विधिक कार्यवाही हेतु माननीय न्यायालय भेजा गया ।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

1हर्षित शुक्ला पुत्र राजीव शुक्ला निवासी मोहल्ला उत्तरी कस्बा मितौली थाना मितौली जनपद खीरी
2. रोहित गुप्ता पुत्र पप्पू सेठ उर्फ राधेश्याम गुप्ता निवासी कस्बा मितौली मंगल बाजार थाना मितौली जनपद खीरी

बरामदगी का विवरण-

02 अदद अवैध तमंचा 315 बोर , 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 धर्मेन्द्र कुमार सिंह थाना मितौली जनपद खीरी
2. हे0का0 अमरेश चौधरी थाना मितौली जनपद खीरी
3.हे0का0 करुणेश वर्मा थाना मितौली जनपद खीरी
4.हे0का0 होरीलाल थाना मितौली जनपद खीरी
5.हे0का0 सन्तराम थाना मितौली जनपद खीरी
6.का0 राजीव सिंह थाना मितौली जनपद खीरी
7. का0 सुगम कुमार थाना मितौली जनपद खीरी
8. का0 ऋषभ सिंह थाना मितौली जनपद खीरी

थाना हैदराबाद पुलिस द्वारा, 04 नफर अभियुक्तों को शांतिभंग के दृष्टिगत गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक खीरी, श्री संकल्प शर्मा द्वारा जनपद खीरी में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक के निकट पर्यवेक्षण में व क्षेत्राधिकारी गोला के कुशल मार्गदर्शन में एवं थानाध्यक्ष हैदराबाद के नेतृत्व में आज दिनांक 05.01.2026 को थाना हैदराबाद पुलिस द्वारा, 04 नफर अभियुक्तों को शांतिभंग के दृष्टिगत अन्तर्गत धारा 170/126/135 बीएनएसएस में गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1.विवेक पुत्र रामपाल उम्र करीब 26 वर्ष, ग्राम बरगदिया थाना हैदराबाद जनपद खीरी
2.अभिषेक पुत्र रामपाल उम्र करीब 20 वर्ष, ग्राम बरगदिया थाना हैदराबाद जनपद खीरी
3.रामपाल पुत्र टेकनलाल उम्र करीब 50 वर्ष, नि0 ग्राम बरगदिया थाना हैदराबाद जनपद खीरी
4 मुकेश कुमार पुत्र घनश्याम उम्र करीब 22 वर्ष ,निवासी ग्राम बरगदिया थाना हैदराबाद जनपद खीरी

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1.उ0नि0श्री हेमन्त कटियार थाना हैदराबाद जनपद खीरी ।
2.का0 संजीव कुमार थाना हैदराबाद जनपद खीरी ।
3.म0का0 पूजा थाना हैदराबाद जनपद खीरी ।

वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी

1.थाना गोला पुलिस द्वारा,मु0अ0स0 02/26 धारा 303(2) बीएनएस में 02 नफर वाछित अभियुक्तोम 1.मुन्ना पुत्र सफीउल्ला निवासी मुड़वारा थाना गोला जनपद खीरी 2.सुहेल उर्फ काली पुत्र मो0 अहमद निवासी मुड़वारा थाना गोला जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया।

2.थाना गोला पुलिस द्वारा मु0अ0 5181/19 धारा 26 वन अधिनियम में 01 नफर वारण्टी अभियुक्त आशाराम पुत्र नीलकंठ निवासी पिपरिया ग्रन्ट थाना गोला जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया।

अवैध शराब के विरूद्ध कार्यवाही; विगत 24 घंटे में 90 लीटर अवैध शराब बरामद कर 07 नफर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री संकल्प शर्मा के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निकट पर्यवेक्षण में जनपद खीरी में अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत विगत 24 घंटों में जनपद खीरी के विभिन्न थानों द्वारा कार्यवाही करते हुए **90 लीटर अवैध कच्ची शराब** बरामद कर **07 नफर** अभियुक्तों को गिरफ्तार कर आबकारी अधिनियम के अंतर्गत **07 अभियोग** पंजीकृत किये गये।